



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2008/पौष 3, 1930

No. 667]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2008/PAUSA 3, 1930

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 03/2008

सा.का.नि. 873(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष) नियमावली, 2006 के नियम 9 के अनुसार केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को अधिसूचित करती है जिसमें निम्न लेखा विवरण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान धारा 7क की उप-धारा (2) के अंतर्गत इस कोष से वित्त पोषित क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है :—

वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के एन एफ सी डी ए मुख्य शीर्ष 8121.00.118.01 सामान्य एवं आरक्षित कोष से संबंधित लेखों का विवरण प्राप्ति एवं विवरण

(रुपये हजारों में)

| वर्ष   | अवर शेष  | प्राप्तियां   | वितरण   | अन्त शेष   |     |
|--|--|---|---|--|-----|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)  |     |
|  |  | [केन्द्र सरकार अध्याय-5क के अंतर्गत जब्त की गई किसी सम्पत्ति का बिक्री आगम  | किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई अनुदान   | उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत इस कोष में जमा धनराशि के निवेश से प्राप्त कोई आय | योग |
| मुख्य शीर्ष: 2070-<br>अन्य प्रशासनिक सेवाएं;<br>लघु शीर्ष : 797-<br>आरक्षित/जमा खाते में अंतरण;<br>उपशीर्ष : 01-<br>राष्ट्रीय औषधि | मुख्य शीर्ष 0070-<br>अन्य प्रशासनिक सेवाएं;<br>उप प्रमुख शीर्ष 60-अन्य सेवाएं<br>लघु शीर्ष : 800-<br>अन्य प्राप्ति; नया उपशीर्ष : 07 | मुख्य शीर्ष: 8121-<br>सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष;<br>लघु शीर्ष : 118<br>राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष;<br>नया उपशीर्ष: 02- | मुख्य शीर्ष : 8121-<br>सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष;<br>लघु शीर्ष : 118-<br>राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष पर ब्याज<br>नया उपशीर्ष: 03- |  |     |

| (1)     | (2)    | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)       | (8) | (9) | (2+7-8) |
|---------|--------|--|---|--|---|-----------|-----|-----|---------|
|         |        | दुरुपयोग नियंत्रण कोष में अंतरण अन्य शीर्ष : 63- अंतरलेखिए अंतरण | इस अधिनियम की धारा 68ट के अंतर्गत किसी सम्पत्ति के बदले में दंड से हुई प्राप्ति | किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिए गए अनुदान से हुई प्राप्तियां | भारत सरकार द्वारा ब्याज भुगतान से हुई प्राप्तियां |           |     |     |         |
| (1)     | (2)    | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)       | (8) | (9) | (2+7-8) |
|         |        |  |   |  |   | (3+4+5+6) |     |     |         |
| 2005-06 | 0      | 100,00   | 0   | 0  | 0   | 100,00    | 0   | 0   | 100,00  |
| 2006-07 | 100,00 | 0  | -   | 0  | 0   | 0         | 0   | 0   | 100,00  |
| 2007-08 | 100,00 | 0  | 737,41*   | 0  | 0   | 737,41    | 0   | 0   | 837,41  |

\*वेतन एवं लेखाधिकारी, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा पुराने लेखा शीर्ष एम एच 8229-00-124 से अंतरित की गई राशि।

[फा. सं. 664/12/2007-एन सी-1]

विमला बक्शी, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 03/2008

G.S.R. 873(E).—In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 together with statement of Accounts as under :—

#### STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NCFDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01-GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE YEARS 2005-06, 2006-07 AND 2007-08 RECEIPT AND DISBURSEMENT

(Rupees in thousands)

| Year    | Opening Balance | Receipts   |   |   |  | Disbursement | Closing Balance |     |         |
|---------|-----------------|--|---|---|--|--------------|-----------------|-----|---------|
| (1)     | (2)             | (3)  | (4)   | (5)   | (6)  | (7)          | (8)             | (9) | (2+7-8) |
|         |                 | [Central Government (Budget Provision)]  | (The Sale Proceeds of any property forfeited under Chapter VA)  | (Any grants made by any person or institution)  | (Any income from investment of the amounts credited to the Fund under the aforesaid provisions.)   | Total        |                 |     |         |
|         |                 | MH: 2070-Other Admn. Services; MnH: 797-Transfer to Reserve/Deposit Account; SH: 01- Transfer to the National Fund for Control of Drug Abuse; OH: 63-Inter-Account Transfer. | MH: 0070-Other Admn. Services; SMH: 60-Other Services MnH: 800-Other Receipts; New Sub-head: 07-Receipts from fines in lieu of forfeiture of property under Section 68K of the Act. | MH: 8121-General and other Reserve Funds; MnH: 118-National Fund for Control of Drug Abuse; New Sub-head: 02-Receipts from grants by any person or institution. | MH: 8121-General and other Reserve Funds; MnH: 118-Interest on the National Fund for Control of Drug Abuse; New Sub-head: 03-Receipts from interest payment by the Govt. of India. |              |                 |     |         |
|         |                 |  |   |   |  | (3+4+5+6)    |                 |     |         |
| 2005-06 | 0               | 100,00   | 0   | 0   | 0  | 100,00       | 0               | 0   | 100,00  |
| 2006-07 | 100,00          | 0  | -   | 0   | 0  | 0            | 0               | 0   | 100,00  |
| 2007-08 | 100,00          | 0  | 737,41*   | 0   | 0  | 737,41       | 0               | 0   | 837,41  |

\*Amount transferred from old Head of Account MH-8229-00-124 by Pay and Accounts Office, Department of Revenue, New Delhi.

[F. No. 664/12/2007-NC-1]

VIMLA BAKSHI, Under Secy.